

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक : एफ 73-56/2012/बीस-3,

भोपाल, दिनांक 9/11/2012

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय : अशासकीय शिक्षण संस्था अनुसुईया स्कूल इन्दौर म.प्र को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—0—

राज्य शासन द्वारा निषयाकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से संबद्धता मिलने के उपरांत संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
2. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, इन्दौर, म.प्र. अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
3. शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी.एस.डावर)
डावर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

9.11.12

-2-

For Devi Anusuiya Vidya Sanshan


Director


PRINCIPAL
ANUSUIYA SCHOOL
INDORE

// 2 //

पृष्ठा क्रमांक : एफ 73-56/2012/बीस-3,

भोपाल, दिनांक 9 / 11 / 2012

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, अशासकीय शिक्षण संस्था अनुसुईया स्कूल, इन्दौर, म.प्र. को सी.बी.एस.ई. से संबद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-
 - (1) संस्था सी.बी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा किया जायेगा।
 - (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उल्लंघन करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकता है।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला इन्दौर, म.प्र.।
4. आर्डर बुक।

9.11.12

अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

9.11.12

For Devi Anusuiya Vidya Sansthan


Director



PRINCIPAL
ANUSUIYA SCHOOL
INDORE